न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :— श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या :—126/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादी

बनाम

1 खुमाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन अमरपुरा तहः पूगल जिः बीकानेर
2 सुमनकुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी चक 9 केवाईडी खाजूवाला।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व खाजूवाला।
2. श्री इमीचंद गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.एक्ट.

—:निर्णयः— दिनांक :—

यह वादपत्र राज पैरोकार तहसीलदार राजस्व खाजूवाला की ओर से पेष किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि चक 40 केजेडी ए के मु0नं0 68/42 के किला नं0 20/2, 21/2 प्रत्येक में 0.2276 है0 व किला नं0 22 में 0.2529 है0 कमाण्ड कुल 0.7081 रकबा है0 कमाण्ड भूमि खुमाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक साकिन अमरपुरा तहः पूगल जिला बीकानेर खातेदार की भूमि पर जगह—जगह जिप्सम के अवैध खनन के खड्डे मौजूद है। यह अवैध खनन खातेदार द्वारा करवाया जा रहा है। इसप्रकार अवैध खनन करने से खातेदार द्वारा आवंटन की शर्तों को भंग किया गया है। अतः खातेदार को कृषि कार्य हेतु किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। आवंटी को आवंटन कृषि कार्य हेतु किया गया था जिप्सम खनन के लिए नहीं किया गया था। प्रार्थनापत्र प्रार्थी बरूबरू अप्रार्थी स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर अवैध जिप्सम का खनन कार्य कर अकृषिक कार्य किया है। अतः खातेदारी अप्रार्थी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा प्रार्थी सरकार को दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

सर्वप्रथम वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 05.07.2021 को शामिल पत्रावली की गई पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी खुमाराम ने उक्त रकबा सुमन पुत्र

ओमप्रकाश को विक्रय कर दी है, इसलिए दिनांक 05.07.2022 को हितबद्ध पक्षकार होने के कारण सुमन का प्रार्थनापत्र आदेश 1 नियम 10 स्वीकार कर सुमन को पक्षकार बनाया गया। उक्त पटवारी रिपोर्ट को प्रदर्श – 1 पढ़ा गया। प्रतिवादी सुमन ने दिनांक 19.07.2022 को जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । प्रतिवादी ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि चक 40 केजेडी ए का मु0नं0 68/42 के किला नं0 13 ता 19 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0, 20/2 में 0.2276 है, 21/2 में 0.2276 है, 22 ता 25 प्रत्येक में 0.2529–0.2529 है0 कुल 3.2371 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि में अप्रार्थी सं0 1 खुमाराम पुत्र जेठाराम जाति नायक निवासी अमरपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर के विरूद्ध अवैध खनन पेश किया है। जो झूठा पेश किया गया है। उक्त अनवानी प्रकरण मं अप्रार्थी सं0 2 सुमनकुमारी पुत्री ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी 9 केवाईडी खाजूवाला जिला बीकानेर उक्त भूमि की रजिस्ट्रर्ड जरिये बैयनामा दिनांक 16.05.2022 की मालिक व मालिकाना हक रखती है तथा उक्त वादगत भूमि अप्रार्थी सं0 2 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खरीद समय से ही भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा था। उक्त प्रकरण में वर्णित भूमि में वर्तमान में ग्वार की फसल काश्त कर रखी है तथा वादगत भूमि का उपयोग पहले भी कृषि कार्य में किया जाता रहा है तथा वर्तमान में भी भूमि का उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा रहा है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपरोक्त वर्णित रजिस्ट्री पेश की जिसको प्रदर्श– 2 पढ़ा गया। अप्रार्थी सं0 2 का जवाब स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय हर्जाखर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रिपोर्ट पत्रांक/तखा/कोर्ट/2022/341 दिनांक 05.07.2022 अनुसार चक 40 केजेडी ए के मु0नं0 68/42 के किला नं0 20/2, 21/2, 22 रकबा 0.7081 है0 पर ग्वार छींटकर हैरा लगाया हुआ है। मौके पर काबिज काष्तकार सुमन पुत्री ओमप्रकाष जाति मेघवाल ने बताया कि उक्त भूमि का बैयनामा उसके पक्ष में पंजीबद्ध है व यह रकबा इसी स्थिति में उसने खातेदार खुमाराम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। मौके पर मौतबिरान ने बताया कि उक्त रकबा के चिपते पश्चिम मु0नं0 68/34 के किला नं0 16,25 में जरिये एसटीपी खनन कर रहे लीजधारक आदि ने सीमा टेढी–मेढी होने से व मु0नं0 68/42 के वर्णित रकबा का खातेदार यहां निवासी नहीं होने से किला नं0 20/2, 21/2, 22 में भी खनन कर खड्डे कर दिये थे। खातेदार खुमाराम के यहां आने पर पता लगा तो उसने उक्त रकबा को पुनः सही करवाकर काबिल काश्त किया था।

अतः तहसीलदार खाजूवाला द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीएक्ट व प्रतिवादी सुमनकुमारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर तनकीयात कायम की गई जो निम्नप्रकार हैः–

1. आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।

.......जिम्मे वादी

2. आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

......जिम्मे प्रतिवादी

तनकीयात कायमी के पश्चात राजपैरोकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा सीधे ही बहस का निवेदन किया गया। अतः बहस सुनी गई।

प्रस्तुत वादपत्र, वादपत्र के साथ पेश दस्तावेज, जवाबदावा मय शपथपत्र, मौका व रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रिपोर्ट 15.06.22 का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करने व बहस उभयपक्ष पर मनन करने पर न्यायालय तनकीवार इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि तनकी संख्या 1 (आया कि प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर बिना विधिक प्रक्रिया व बिना वैधानिक अनुमति के अवैध खनन कर भूमि का अकृषि कार्य में उपयोग लिया जा रहा है। खातेदार द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया गया है अतः खातेदारी खारिज की जाकर कब्जा बहक सरकार घोषित कर कब्जा सरकार को दिलाया जावे।) का भार जिम्मे वादी था जिसको मजबूत साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत कर साबित करने में वादी/राजपैरोकार असफल रहा है साथ ही वादपत्र प्रस्तुत के समय रिपोर्ट पटवारी 28.07.2021 व न्यायालय हाजा में दिनांक 05.07.2022 को प्रस्तुत रिपोर्ट भी विरोधाभासी है। वही प्रतिवादी ने तनकी सं0 2 (आया कि वादगत भूमि पर प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है और कब्जा काश्त है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि अवैध खनन नहीं किया जा रहा है इसलिए वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।) जिम्मे प्रतिवादी को साबित करने के पक्ष में प्रदर्श 1–2 साक्ष्य/सबूत के तौर पर मजबूती प्रदान करते है जो जिम्मे प्रतिवादी तनकी सं0 2 को साबित करते है।

अतः तनकीवार विवेचना के आधार पर वादी द्वारा तनकी सं0 1 को साबित करने में असफल रहने व प्रतिवादी के जिम्मे तनकी सं0 2 साबित हो जाने तथा वादी को वाद–हैतुक प्राप्त होने में भी संशय के कारण प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। उभयपक्षकारान अपना–अपना वाद खर्च वहन करें। पत्रावली फैशलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल–दफ्तर हो... आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:10:12 IST
Reason: SelfAttested

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)